संख्याः 3585/9–आ–1–95–80 मिस/86

प्रेषक,

श्री राकेश कुमार गोयल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 21 सितम्बर, 1995

विषयः उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरण की योजनाओं में लीज पर आवंटित भूखण्डों/भवनों का फ्री–होल्ड में परिवर्तन विषयक।

महोदय,

उ0प्र0 आवस एवं विकास परिषद तथा प्रदेश में स्थित विकास प्राधिकरणों द्वारा संचालित योजनाओं में लीज पर आवंटित भूखण्डों/भवनों को फ्री–होल्ड में परिवर्तित किये जाने हेतु शासनादेशा सं0 1639/9–आ–1–95–80 मिस/86 दिनांक 10 मई, 1995 को जारी किया जा चुका है। उक्त शासनादेश के अनुसार जिन आवंटियों को पूर्व में लीज पर भूखण्ड आवंटित किये जा चुके हैं उनसे 2 प्रतिशत तथा कई आवंटियों से 12 प्रतिशत शुल्क लेकर फ्री–होल्ड किये जाने की व्यवस्था है।

2. उपरोक्त विषय में शासन के संज्ञान में लाया गया है कि पूर्व आवंटियों को भी लीज पर भूमि के आवंटन की सुविधा नहीं दी जा रही है। अतः उपरोक्त शासनादेश दिनांक 10.05.95 के क्रम में मुझे यक स्पष्ट किये जाने का निदेश हुआ है कि नये आवंटित किये गये भूखण्ड को सीधे फ्री–होल्ड किया जायेगा परन्तु दिनांक 10.05.95 के पूर्व के आवंटियों को लीज की सुविधा दी जायेगीं यदि दिनांक 10.05.95 के पूर्व के आंवटी सीधे फ्री–होल्ड कराने के इच्छुक है तो भूमि को फ्री–होल्ड करते हुए विलेख निष्पादित किया जा सकता है।

3. दिनांक 10 मई, 1995 के पूर्व यदि किसी मामले में आवंटन हुआ है ओर आवटी द्वारा धनराशि प्राधिकरण/परिषद कोष में दिनांक 10.05.95 के पूर्व जमा कर दी गई है तो उन्हें नया आवंटी नही माना जायेगा तथा यदि किसी मामले में आवंटी को दिनांक 10 मई, 1995 के पूर्व भूखण्ड का आवंटन हुआ है और उसके द्वारा धनराशि जमा कर दी गई है परन्तु प्राधिकरण/परिषद आवंटित भूमि का कब्जा देने में असफल रहा है और पूर्व आवंटित भूमि के एवज में यदि 10.05.95 के बाद भूमि आवंटित की जाती है तो उसे नया आवंटी नहीं माना जायेगा।

4. अतः कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

राकेश कुमार गोयल,
संयुक्त सचिव

संख्याः 3585(1)/9–आ–1–95, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. शासन के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
राकेश कुमार गोयल
संयुक्त सचिव